

पालीवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय

शिकोहाबाद (उ. प्र.)

परिचय

परम् पिता परमात्मा की असीम अनुकम्पा से विद्यालय की स्थापना प्राइमरी स्कूल के रूप में जुलाई 1945 में शिकोहाबाद स्थित अग्रवाल धर्मशाला के सामने किराये के एक भवन में हुई थी। विद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा और इसे 1948 में जूनियर हाईस्कूल, 1951 में हाईस्कूल, 1953, 1955, 1958 तथा 1961 में क्रमशः इण्टर कक्षाओं में साहित्य, वाणिज्य तथा विज्ञान और हाईस्कूल में कृषि वर्ग की मान्यता प्राप्त हुई। नवीन कक्षाओं के खुलने के साथ-साथ छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती गई।

परमात्मा की महान कृपा से 1969-70 में इसे आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से बी.एससी. प्रथम वर्ष की कक्षाएँ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ खोलने की अनुमति प्राप्त हुई। सत्र 1970-71 से बी.एससी. द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ प्रारम्भ हुई और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सत्र 1990-91 से बी.एससी. तृतीय वर्ष की कक्षाएँ प्रारम्भ हुई। सत्र 1992-93 में महाविद्यालय को एम.एससी. गणित की कक्षाएँ प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त हुई। सत्र 1993-94 से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग (पी.जी. डी.सी.पी.) की कक्षाएँ प्रारम्भ हुई। सत्र 1997-98 से बी.एससी. प्रथम वर्ष में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान तथा बीज प्रौद्योगिकी की कक्षाएँ भी प्रारम्भ हो चुकी हैं।

सत्र 2000-2001 में स्नातकोत्तर स्तर पर स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों की कक्षाएँ प्रारम्भ की जा चुकी हैं। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत ही सत्र 2003-04 से एम.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान) की कक्षाएँ भी प्रारम्भ की जा चुकी हैं। सत्र 2004-05 से पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड ऑफिस मैनेजमेन्ट (पी.जी.डी.सी.ए. एण्ड ओ.एम.) का एक वर्षीय पाठ्यक्रम (दो सेमेस्टर) भी प्रारम्भ किया जा चुका है।

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र विषय की 2010-11 से मान्यता है, और पर्याप्त संख्या में छात्र/छात्राएँ अन्य विषयों के साथ अर्थशास्त्र विषय चुन रहे हैं।

पाठ्य विषय

सत्र 1988-89 से आगरा विश्वविद्यालय द्वारा त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जिसके अनुसार पाठ्य विषय निम्न प्रकार हैं—
त्रिवर्षीय ऐच्छिक विषय—

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| जीव विज्ञान वर्ग : | 1. वनस्पति विज्ञान | 2. रसायन विज्ञान | 3. जन्तु विज्ञान |
| | 1. वनस्पति विज्ञान | अथवा
2. रसायन विज्ञान | 3. बीज प्रौद्योगिकी |
| गणित वर्ग : | 1. गणित | 2. भौतिक विज्ञान | 3. रसायन विज्ञान/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर विज्ञान |

एम. एससी.

- गणित सरकारी अनुदान पर प्रवेश
- भौतिक विज्ञान, (स्ववित्तपोषित)

- रसायन विज्ञान (स्ववित्तपोषित)
- जन्तु विज्ञान (स्ववित्तपोषित)
- वनस्पति विज्ञान एवं कम्प्यूटर विज्ञान (स्ववित्तपोषित)

महाविद्यालय में प्रवेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के तहत होंगे। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त नियमावली/दिशा निर्देश विस्तृत रूप से निम्न प्रकार है :

महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों का संकायवार विवरण :-

विज्ञान संकाय – गणित	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान	कम्प्यूटर विज्ञान
जन्तु विज्ञान	वनस्पति विज्ञान		
कला संकाय– अर्थ शास्त्र			
कृषि संकाय – बीज प्रौद्योगिक			

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को स्नातक स्तर पर सत्र 2021-22 से लागू करने सम्बन्धी दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षानीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार किये गये न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों एवं स्नातक स्तर पर सी0बी0सी0एस0 सेमेस्टर सिस्टम को शैक्षिक सत्र – 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16 (26) 2011 दिनांक 20.04.2021, संख्या 1565 / सत्तर-3-2021-16(26) /2011 टी.सी. लखनऊ के द्वारा परिपत्र तथा अस सम्बन्ध में समय-समय पर शासकीय निर्देश जारी किये गये हैं।

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स ने प्राप्त सभी शासनादेशों को अंगीकृत कर शैक्षिक सत्र 2021-22 के स्नातक प्रथम सेमेस्टर / प्रथम वर्ष में प्रवेश-सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम / मानक दिशा – निर्देश (गाइडलाइन) तैयार किये हैं। टास्क फोर्स द्वारा तैयार किये गये दिशा निर्देशों को लागू, किया जाना प्रस्तावित है। इसी सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित, प्रारूप अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. क्षेत्र :

- 1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के अन्तर्गत की जा रही व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.) एवं तकनीकी शिक्षा (बी. टेक. एम.सी.ए आदि) के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।
- 1.2 यह व्यवस्था तीन विषय वाले पाठ्यक्रमो बी0 ए0 बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी। अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशों के आने पर सत्र 2022-23 से लागू होगी
- 1.3 विधि (बी.ए.एल.एल.बी., बी.एससी. एल. एल.बी., एल. एल. बी. एल.एल.एम. इत्यादि) शिक्षक शिक्षा (बी.ए., एम.एड., बी.पीएड., इत्यादि) के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एनईपी-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जाएगा।

परिभाषाएं :

2.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)

विद्यार्थी द्वारा चुने गये अपने संकाय में एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन, वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री छः वर्ष की पी0जी0डी0आर0 तथ शोध उपाधियथा-बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0 बी0बी0ए0, बी0एल0ई0 एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि ।

2.2 संकाय (Faculty)

- 2.2.1 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर जिस संकाय से दो मेजर विषयों का चुनाव करेगा । वह संकाय विद्यार्थी का "अपना संकाय" (Own Faculty) कहलायेगा ।
- 2.2.2 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि ।
- 2.2.3 विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी ।
- 2.2.4 विद्यार्थियों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1264/सत्तर - 3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 15.06.2021 के अनुसार होगी यथा 1. विज्ञान संकाय 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, 7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय. 10. ग्रामीण अध्ययन संकाय एवं ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की मिलेगी ।

2.3 विषय (Subject)-

- 2.3.1 संस्कृत हिन्दी जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।
- 2.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।
- 2.4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper). यथा
- 2.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा ।
- 2.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा ।

3. पाठ्यक्रम / कार्यक्रम लागू करने की समय - सारणी :

- 3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र-2021-22 में स्नातक स्तर में प्रवेशित विद्यार्थियों पर ही लागू होंगे । स्नातक / परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे ।
- 3.2 तीन विषय वाले स्नातक पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों (बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम.) में सी.बी.सी.एस आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021 - 22 से लागू होगा ।
- 3.3 स्नातक (शोध सहित एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022 - 23 से लागू होगा ।
- 3.4 बी.ए. बी.एससी. बी.कॉम एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2022 - 23 से लागू होगा ।

4. प्रवेश प्रक्रिया एवं विषय चयन की व्यवस्था

4.1 प्रवेश

- 4.1.1 विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएँगे तथा डब्ल्यू0आर0एन0 नम्बर अंकित किये हुये रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र को विश्वविद्यालय के संस्थान / विभाग / महाविद्यालयों में जमा कर मेरिट अथवा अन्य प्रवेश नियमों, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा संसाधनों के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे ।
- 4.1.2 विद्यार्थी द्वारा चुनाव किये गये प्रथम दो विषयों के आधार पर प्रदान कि जाने वाली डिग्री यथा बी.ए., बी0 एससी. अथवा बी.कॉम में सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा विद्यार्थी के द्वारा आवश्यक अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा सम्बंधित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा
- 4.1.3 प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंकों की व्यवस्था विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 में लिये गये निर्ण के अनुसार होगी ।

4.2 मेजर विषयों का चुनाव

- 4.2.1 विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान वाणिज्यआदि) का चुनाव, करना होगा, और तत्पश्चात् उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा जिसका आवंटन महाविद्यालय में मेरिट, उपलब्ध सीट की सुख्या व संसाधनो पर निर्भर करेगा । यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर तक) अथवा पाँच वर्ष (स्नातक व परास्नातक तक) अध्ययन कर सकेगा ।
- 4.2.2 इसके उपरान्त विद्यार्थी एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से हो सकता है ।
- 4.2.3 इस तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय यह अपने सुंकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है ।

4.3 मेजर विषयों को बदलने की सुविधा

- 4.3.1 विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय मे उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संसाधनों/नियमों के आलोक में द्वितीय / तृतीय वर्ष में संकाय अथवा मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके कम में परिवर्तन कर सकता है ।
- 4.3.2 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के अधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

4.4 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव

- 4.4.1 तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी, को एसक माइनर इलैक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा । इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा दूसरे संकायों के विषयों मे से कर सकते है इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (per-requisite) की आवश्यकता नही होगी ।
- 4.4.2 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा दिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

4.4.3 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय (Other Faculty) से करना होगा।

4.4.4 स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक – एक माइनर पेपर का अध्ययन कराना होगा।

4.4.5 कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

4.4.6 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर / इलेक्टिव विषय आवंटित किया जायेगा।

4.4.7 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान / महाविद्यालय में संचालित विषयों के पेपर में रो किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएँ फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

4.5 रोजगारपरक/कौशल विकास के पाठ्यक्रम के लिए पेपर का चुनाव

4.5.1 पाठ्यक्रम के प्रकार: पाठ्यक्रम दो प्रकार के होते हैं—

– प्दकपअपकनंस दंजनतम . एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

– च्त्वहतमेपअम दंजनतम . एक पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सकेगा।

4.5.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम के चुनाव कर सकेंगे।

4.5.3 विद्यार्थी द्वारा रोजगारपरक / कौशल विकास पाठ्यक्रम के चुनाव के समय महाविद्यालय में वह कार्यक्रम उपलब्ध न होने जैसी स्थिति में अपने प्रवेश के पश्चात् (UGC. SWAYAM. MOOCs ETC.) पोर्टल पर उपलब्ध रोजगारपरक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। विद्यार्थी इस रोजगारपरक पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अर्जित किये गए क्रेडिट के सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा कराएँगे जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथास्थान जोड़ा जा सके।

4.5.4 प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3×4: 12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational / Skill Development Courses) पूर्ण करना होगा।

4.6 अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Co-Curricular)

4.6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छह सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular) करना अनिवार्य होगा

4.6.2 स्नातक स्तर पर अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular) के अध्ययन-अध्ययन का कम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा:—

– प्रथम सेमेस्टर: भोजन पोषण और स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)

– द्वितीय सेमेस्टर: प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य (First Aid and Health)

– तृतीय सेमेस्टर: मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

– चतुर्थ सेमेस्टर: शारीरिक शिक्षा और योग (Physical Education and Yoga)

– पंचम सेमेस्टर: विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता (Analytic Ability and Digital Awareness)

– षष्ठम सेमेस्टर: संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास (Communication Skills and Personality Development)

4.6.3 स्नातक स्तर के अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular) के अध्ययन-अध्ययन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा की जाएगी ।

4.6.4 इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. (C.G.P.A.) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

4.7 शोध परियोजना :

4.7.1 स्नातक/स्नातकोत्तर / पी0जी0डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी को पाँचवें से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी । पी0जी0डी0आर0 में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री पीएच. डी. कोर्स वर्क के अनुसार बाद में निर्धारित करेगा ।

4.7.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से संबन्धित शोध परियोजना करनी होगी । यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग /इंटरशिप /सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है ।

4.7.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जाएगी । एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी तकनीकी संस्थान शोध संस्थान से लिया जा सकता है । विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्ट में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (त्मचवतज ँ क्पेमतजंजपवद) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक में से किया जायेगा ।

4.7.4 स्नातक स्तर एवं पी0जी0डी0आर0 के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तको पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा ।

4.7.5 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी । शोध परियोजना के प्राप्तको पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा ।

5. **कौशल-विकास/रोजगारपरक (Skill Development/Vocational) पाठ्यक्रमों के संचालन किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश:** रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या -1969/सत्तर-3-2021 दिनांक 18.08.2021 के अनुपालन में निम्न व्यवस्था लागू होती :-

5.1 पाठ्यक्रम

5.1.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हे विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति विद्वृत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

5.1.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर / स्किल डेवलपमेन्ट कॉउंसिल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 (NSQF: National Skill Qualification Framework) आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा

5.1.3 जन ट्रेड में यू0जी0सी0/ एन0एस0क्यू0एफ0/स्किल डवलपमेंट काउंसिल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध है, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इन्टर्नशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके ।

5.1.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष /शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य थ्योरी एवं स्किल / ट्रेनिंग /इन्टर्नशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कॉलेज प्रशासन करेगा ।

- 5.1.5 सामान्य/थ्योरी पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट-15 घंटे का तथा स्किल का एक क्रेडिट-30 घंटे का होगा अर्थात् 3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घंटे की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/लैब/(2 क्रेडिट) होगी ।
- 5.3 सीट निर्धारण कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीटों का निर्धारण किया जायेगा ।
- 5.4 समझौता ज्ञापन (MoU)**
- 5.4.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-602/ सत्तर-3-2021-08 (35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज द्वारा सथानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किये जान अपेक्षित है ।
- 5.4.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे ।
- 5.4.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण/ इन्टरनशिप के लिये विश्वविद्यालयी शिक्षण संस्थान / महाविद्यालय सम्बन्धित विभागों से समन्वय करेंगे ।
- 5.4.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेषध्यान रखा जाय ।
- 5.4.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टरनशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के यि यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए ।

6. कक्षाओं हेतु समय-सारणी :

- 6.1 सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारणी (Time Table) इस प्रकार तैयार कर लें जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।
- 6.2 सभी शिक्षण संस्थान समय-सारणी (Time Table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।
- 6.3 कॉलेज समय-सारणी में राजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्योरी को अथवा शिक्षण कार्य को यथा सम्भव आरम्भ(प्रातः) अथवा अंत (साय) में रखा जा सकता है । ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, इन्टरनशिप आदि को अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय-सारणी के पश्चात् करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है ।

7. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया :

- 7.1 विद्यार्थी का एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी । विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocatoonal) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।
- 7.2 विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करन पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
- 7.3 विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा ।

7.4 पूर्व पात्रता (क्षम.तमुनपेपजम) के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय / तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

8. **डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि/पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता एवं आगामी सेमेस्टर में प्रवेश:**

- 8.1 विद्यार्थी के लिए (Certificate in Faculty) का (Course Module) अर्थात प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह ब्यनतेम डवकनसम आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनत 46 क्रेडिट के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारिता कर सकेगा ।
- 8.2 विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty) पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा । इसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारिता कर सकेगा ।
- 8.3 विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष Diploma in Faculty पूर्ण करने उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात Bachelor (Research) पद Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारिता कर सकेगा ।
- 8.4 किसी पाठ्यक्र संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिये पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैंक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी । सेमेटर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के कम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी ।

9. **क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण:**

- 9.1 क्रेडिट के आधार पर शिक्षण कार्य : थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा ।
- 9.2 प्रैक्टिकल/इंटरनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्ट के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटरनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटरनशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा ।
- 9.3 क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण: क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या-1816/सत्तर-3-2021 दिनांक 09.08.2021 के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा-निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अलग से जारी किए जाएंगे ।
- 9.4 वर्षवार/माड्यूलवार पाठ्यक्रमों के नाम:- विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक डिग्री: न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

- 9.5 क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात् रि-क्रेडिट की सुविधा:- एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जाएंगे। यदि वह कछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है। तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्थ आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- 9.6 योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) को सुविधा:- यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 9.7 संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं:- द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएंगे ने कि डिप्लोमा की क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने करने होंगे।
- 9.8 छात्र को उसके अपने संकाय में डिग्री:- तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- 9.9 बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.):- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा-112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। समान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
- 9.10 परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रि-क्रेडिट वाले विद्यार्थियों को लाभ:- यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट / डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।
- 9.11 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट:- रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट / दो वर्ष 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।

10 उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण:

- 10.1 क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अर्पूण होंगे
- 10.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 10.3 छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।

11 राष्ट्रीय शिक्षा निति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ:

- 11.1 ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट का जोड़ने की व्यवस्था:- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थानों (UGC, SWYAM MOOCs portals) से 20 प्रतिशत तक या यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपालन में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित किये जाने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव पेपर्स के लिए छूट पर ही लागू होगी। यूजीसी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
- 11.2 विशेष विषय को अन्य शिक्षण संस्थानों से पढ़ने की सुविधा:- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।
- 11.3 एनसीसी एक लघु-वैकल्पिक विषय (माइनर इलेक्टिव)
- 11.3.1 लघु-वैकल्पिक (Minor Elective) पेपर के रूप में एनसीसी को भी सम्मिलित किया गया है यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्षों (प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक) में पढ़ाया जायेगा। (शासनादेश सं0 1815/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 09.08.2021)
- 11.3.2 लघु-वैकल्पिक पेपर एनसीसी का पाठ्यक्रम न्यूनतम समान पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया जायेगा तदनुसार विश्वविद्यालय की अध्ययन समिति (BoS) एवं अन्य सक्षम समितियों के समक्ष रखकर अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करायी जायेगी।
- 11.3.3 एनसीसी लघु-वैकल्पिक पेपर प्रारम्भ में केवल एनसीसी कैंडिडेटों के लिये उपलब्ध होगा, परन्तु कालांतर में संसाधन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तदनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा।

12 परीक्षा व्यवस्था :

- 12.1 सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंको के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में साफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- 12.2 सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंको के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation: CIE) एवं 75 अंको के लिये वाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- 12.3 25 अंको का आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा
- 12.4 महाविद्यालय केन्द्रीकृत व्यवस्था या अन्य सुचितापूर्ण व्यवस्था के अनुरूप सतत आन्तरिक मूल्यांकन करायेंगे तथा असाइनमेंट, क्लास टेस्ट की उत्तरपुस्तिकाओं व अन्य रिपोर्टों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- 12.5 सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।
- 12.6 राजगारपरक पाठ्यक्रमों की परीक्षा
- 12.6.1 राजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्योरी/सामान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालयी संस्थानों / महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इन्टरनशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा रिकल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।
- 12.6.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इन्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं।
- 12.6.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात् समयान्तर्गत महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।

13. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तदनक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है:
- 13.1 स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह – पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- 13.2 द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह- पाठ्यक्रम तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- 13.3 तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह – पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 13.4 चौथे वर्ष तक 184 संचित क्रेडिट के सापेक्ष दस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख वृहद शोध परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी। जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध सहित स्नातक Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 13.5 पांचवें वर्ष तक 232 संचित क्रेडिट के सापेक्ष दस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर Master in Faculty उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 13.6 छठे वर्ष तक 248 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा (शोध) (P.G.D.R. - Post Graduate Diploma in Research) प्रदान किया सकता है।
- 13.7 प्राथमिकता के आधार पर सातवें और आठवें वर्ष में (अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में) शोध-प्रबन्ध (त्मेमंतबी जेमेपे) जमा करना होगा, जिसके मूल्यकांन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 13.8 यूनीफार्म क्रेडिट एवं ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण शासकीय निर्देशों के अनुरूप प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप किया जायेगा।
- 13.9 प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
- 13.10 स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रमका अध्ययन अनवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा।

प्रवेश

बी.एससी. प्रथम व द्वितीय/तृतीय वर्ष एवं एम.एससी. प्रथम/द्वितीय वर्ष के प्रवेश क्रमशः इण्टर व बी.एससी. प्रथम/द्वितीय वर्ष एवं बी.एससी. तृतीय वर्ष एवं एम.एससी. प्रथम वर्ष के परिणाम निकलने के बाद प्रारम्भ होंगे। प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों को अपने साथ पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की फोटो प्रतिलिपि एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) लाना अनिवार्य है। पी.जी.डी.सी.पी. एवं पी.जी.डी.सी.ए. एण्ड ओ.एम. में वे छात्र/छात्रायें ही अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

किसी अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (**Migration Certificate**) लाना अनिवार्य होगा।

छात्रवृत्ति एवं शुल्क-मुक्ति

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्ति उ.प्र. शासन/ केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार प्राप्त होती है। छात्र वृत्ति हेतु विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त अति निर्धन छात्र/छात्राओं को निर्धन छात्र कोष से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

दानदाताओं द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति एवं स्वर्णपदक

1. सत्र 1989-90 से श्रीमती अगमलता कुलश्रेष्ठ द्वारा अपने पति स्व. श्री ग्रीशचन्द्र कुलश्रेष्ठ, जो इस महाविद्यालय में गणित प्राध्यापक थे, की स्मृति में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति बी.एससी. प्रथम व द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा में गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को रु. 100/- प्रतिवर्ष दी जायेगी।
2. सत्र 1991-92 से श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी द्वारा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रमा तिवारी के नाम रु. 250/- की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गई है। यह छात्रवृत्ति बी.एससी. (जीव विज्ञान) द्वितीय वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को दी जायेगी।
3. सत्र 1994-95 से श्री अजय पालीवाल, नई दिल्ली द्वारा स्व. श्रीमती शकुन्तला पालीवाल के नाम रु. 750/- की दो वार्षिक छात्रवृत्तियाँ प्रारम्भ की गई हैं। जो बी.एससी. द्वितीय वर्ष तक के प्राप्तांक के आधार पर गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग के एक-एक निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्रा को दी जायेगी।
4. सत्र 1995-96 से श्रीमती गायत्रीदेवी पालीवाल, शिको. द्वारा स्व. शाह मौजीराम जी पालीवाल की स्मृति में प्रतिवर्ष रु 350/- प्रति छात्र/छात्रा की दर से बी.एससी. तृतीय वर्ष के निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।
5. स्व. श्री शाह उदयराम जी पालीवाल स्मृति स्वर्ण पदक प्रतिवर्ष उस छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा जिसने एम.एससी./एम.ए. गणित में प्रथम श्रेणी के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।
6. स्व. श्री बाबूराम जी पालीवाल स्मृति स्वर्ण पदक प्रतिवर्ष उस छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा जिसने बी.एससी. (गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग) में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।
7. डॉ. ओम प्रकाश सिंह पूर्व प्राचार्य, पालीवाल कॉलेज, शिकोहाबाद, द्वारा अपनी पूज्यनीय माताजी की स्मृति में सत्र 2004-05 से "श्रीमती पार्वती देवी स्मृति स्वर्ण पदक" प्रति वर्ष उस छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा, जिसने एम.एससी. भौतिक, रसायन, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान विषय में सर्वधिक अंक प्राप्त किये हों।
8. डॉ ललित कुमार शर्मा, रीडर वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा सत्र 2004-05 से श्रीमती कमला शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक प्रति वर्ष स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा।

छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगी। ऐसा न करने पर यदि शुल्क मुक्ति छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो इसकी जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।

उपस्थिति

विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उपस्थिति सम्बन्धी नियम छात्र/छात्राओं को यथा समय सूचित कर दिये जाते हैं। निर्धारित उपस्थिति में कमी होने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ. प्र.)
(विश्वविद्यालय वेबसाइट : www.dbrau.ac.in)

प्रवेश नियमावली सत्र 2023-2024

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल.एल.बी. प्रथम वर्ष एवं एल.एल.एम. प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

1. (अ) महाविद्यालय में कक्षावार निर्धारित सीटों का विवरण निम्न प्रकार है।

कक्षा	सीटों की कुल निर्धारित संख्या	सामान्य सीटों की संख्या	आरक्षित सीटों की संख्या			
			अनुसूचित जाति 21%	अनुसूचित जनजाति 2%	विकलांग* 4%	पिछड़ी जाति 27%
1. बी.एससी. प्रथम वर्ष रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान/ बीज प्रौद्योगिकी	420	210	88	8	13	114
2. बी.एससी. प्रथम वर्ष गणित, भौतिक विज्ञान/ रसायन विज्ञान/ कम्प्यूटर विज्ञान/अर्थशास्त्र	480	240	101	10	14	129
3. एम.एससी. प्रथम वर्ष गणित	25	12	5	1	1	7
4. एम.एससी. भौतिक विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	30	15	6	1	1	8
5. एम.एससी. रसायन विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	30	15	6	1	1	8
6. एम.एससी. वनस्पति विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	30	15	6	1	1	8
7. एम.एससी. जन्तु विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	30	15	6	1	1	8
8. एम.एससी. कम्प्यूटर विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	30	15	6	1	1	8
10. पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड ऑफिस मैनेजमेन्ट	50	25	10	1	1	14

नोट— अन्य कक्षाओं में सभी उत्तीर्ण छात्रों को सम्बन्धित उपाधि हेतु सामान्यतः अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जायेगा। विकलांग आरक्षित सीटों की संख्या सम्बन्धित वर्ग के अन्तर्गत ही सम्मिलित है। विकलांगता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। 10 प्रतिशत ई डब्लू. एस. के लिए आरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

ब. यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेश उपरान्त यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिए गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रद्द करना होगा। तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा, शुल्क वापसी की प्रक्रिय दो महा के अन्दर सम्पन्न करनी होगी।

2.(अ) सत्र 2023-2024 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष / सेमेस्टर में ही प्रवेश दिये जायेंगे तथा परिक्षा शुल्क के साथ ही 200/- रु. उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

विद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के "त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम" तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष "चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम" में ही प्रवेश दिये जायेंगे। यदि छात्र अन्य किसी वर्ष में उक्त पाठ्यक्रमों के किसी विषय में प्रवेश लेना चाहे तो पत्राचार पाठ्यक्रम में, केवल उन विषयों में जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, प्रवेश ले सकते हैं। महाविद्यालयों में एल.एल.बी. "प्रथम वर्ष" तथा एल.एल.एम. "प्रथम वर्ष" में प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे। एल.एल.बी. "प्रथम वर्ष" के प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं। पाँच वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता 10+2 होगी, जिसमें 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट होगी। निर्धारित मानकों के आधार पर सभी श्रेणियों के लिए पृथक-पृथक योग्यता सूचियाँ बनाई जायेंगी। प्रतीक्षा सूची योग्यतानुसार पृथक से तैयार की जायेगी जिनमें से छात्रों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिये जायेंगे, किन्तु प्रवेश आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2638/15-94-15/66/89 दिनांक 30.07.1994 में उल्लिखित प्राविधानों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा।

(स) शैक्षणिक कलैण्डर सत्र -2023-24

– महाविद्यालय खुलने के लिए तिथि	: शासनादेश के अनुसार
– स्नातक प्रथम में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्ररम्भ तिथि	: 25 मई 2023
– स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि	: 14 अगस्त 2023
– स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन पाठन प्ररम्भ करने की तिथि	: 12 सितम्बर 2023
– स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय में प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि	: 25 अगस्त 2023
– स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन पाठन प्ररम्भ करने की तिथि	: 05 सितम्बर 2023
– उक्त तिथियाँ शासनादेशों अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें। (www.dbrau.ac.in)	

3.(अ) प्रवेश सूची योग्यता अंक सहित कॉलेज "नोटिस बोर्ड" पर लगायी जायेगी। छात्र तदनुसार प्रवेश लें। महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो।

4.(अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं लें सकेंगे।

(ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

- (स) यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसकी अहर्ता परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है। अन्तराल अहर्ता परीक्षा पाठ्यक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा।

टिप्पणी— दो वर्ष के अन्तराल (Gap) के छात्रों का ऑन लाइन डाटा विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखते हुए प्रदर्शित किया जायेगा ताकि ऑन लाइन फार्म भरवाते वक्त महाविद्यालय द्वारा छात्रों के रिकार्ड का मिलान किया जा सके।

- (द) ऐसे सभी छात्र जिन्होंने एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल.एल.एम. कक्षा को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे।
- (य) कला एवं वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हों, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ऐसे छात्र प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

“यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा न हो।”

प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे :-

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith"

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

5.(अ) **स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी :-**

- (1) बी.एससी. फिजीकल साइंस के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (2) बी.एससी. लाइफ साइंस के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (3) बी.एससी. (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण।
- (4) बी.ए./बी.कॉम. के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।

कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी.एससी. (कृषि) / बी.एससी. परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ.प्र. बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाइंट/मार्क्स दोनों (ठवजी) प्रवेश अर्हता के लिए मान्य होंगे।

(स) **स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे :-**

- (I) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

- (II) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित हैं, यदि उनके योग्यतांक ऊपर के भाग (८) के अभ्यर्थियों से अधिक हों।
- (III) शासनादेश संख्या जी. आई. 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।
- (IV) भाग-II तथा III में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग-I के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।
- (V) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेंट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे-

- (I) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
 (II) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य-चक्रानुसार।
 (III) एस.एन. मेडीकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित-मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोट:- कोई भी राजकीय, अनुदानित महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश भी नहीं देगा।

(VI) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(VII) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना :

6. (क) स्नातक कक्षार्ये :

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत/ग्रेड अथवा दोनों
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।/ग्रेड अथवा दोनों

(ख) स्नातकोत्तर कक्षार्ये :

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत/ग्रेड का 50 प्रतिशत
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट :- 1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनीवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए लिये जायेंगे।

2. (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम.ए. हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते हैं अथवा उस विषय में हो सकते हैं

(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते हैं।

(ग) एम.कॉम. पूर्वाद्ध परीक्षा के लिए अर्हता केवल बी.कॉम. त्रिवर्षीय परीक्षा है।

(घ) दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक (आनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्ही विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक आनर्स की उपाधि प्राप्त की हो।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षाएँ :-

- 1.(अ) उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए 5 अंक
- (ब) द्वितीय विजेता होने के लिए 4 अंक
- (स) तृतीय विजेता होने के लिए 3 अंक
- (द) प्रतिभाग करने के लिए 2 अंक
2. एन.सी.सी. "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को अथवा 8 अंक
- एन.सी.सी. "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को अथवा 6 अंक
- एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक
3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण-पत्र धारक 5 अंक
5. बी.कॉम (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हो।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ :-

- 1.(अ) विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रथम विजेता होने के लिए 8 अंक
- (ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए 7 अंक
- (स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए 6 अंक
- (द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए 3 अंक
- 2.(अ) विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए 5 अंक
- (ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए 4 अंक
- (स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए 3 अंक
- (द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए 2 अंक
3. एन.सी.सी. "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को अथवा 8 अंक
- एन.सी.सी. "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण-पत्र धारक केडिटों को अथवा 6 अंक
- एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक
4. एन.एस.एस. में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए। 5 अंक
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक
- अथवा महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर विश्वविद्यालय रैली में प्रथम विजेता होने पर 5 अंक
- द्वितीय विजेता होने पर 4 अंक
- तृतीय विजेता होने पर 3 अंक
- प्रतिभाग करने पर 2 अंक

नोट—उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. समन्वयक(रोवर्स/रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षाएँ :-

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषितसंस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री। 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री(अविवाहित) 10 अंक
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स /अर्द्ध बल सैनिक बल (पुलिस/पी.ए.सी.)में कार्य करते हुए विजय शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में 17 अंक

टिप्पणी : 1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा तथा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट : किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक सेवा में रहने का अधिकारी था। इस आशय का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) एल.एल.बी. (प्रथम वर्ष) :

एल.एल.बी. की प्रथम वर्ष में प्रवेश केवल योग्यता क्रम के आधार पर ही दिये जायेंगे। योग्यता सूची शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(1) शैक्षणिक अंकों की गणना (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु) :

1. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 100 प्रतिशत।

(2) शैक्षणिक अंकों की गणना (10+2) के बाद (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु) :-

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत।
2. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत।

नोट— त्रिवर्षीय डिग्री के प्राप्तांक अथवा द्विवर्षीय के प्राप्तांक के साथ ब्रिज कोर्स के प्राप्तांको को जोड़कर प्रतिशत निकाला जायेगा, जिन अभ्यर्थियों ने सन् 1985 से पूर्व प्रथम स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली है, उनकी यह उपाधि इस तथ्य के बावजूद कि उनकी स्नातक डिग्री की अवधि जो कुछ रही हो, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के समकक्ष मानी जायेगी।

(ङ) एल.एल.एम. (प्रथम वर्ष) :

एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर ही दिये जायेंगे। योग्यता सूची शैक्षणिक एवं अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(1) शैक्षिक अंकों की गणना :

एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विधि की सम्पूर्ण परीक्षा में प्राप्त अंकों का शत-प्रतिशत। एल.एल.बी. परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य

(2) अतिरिक्त अंकों की गणना :

एल.एल.बी./एल.एल.एम. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता के अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनाई जायेगी लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

- 1.(अ) विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय/अन्तर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए 5 अंक
- (ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए 4 अंक
- (स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए 3 अंक
- (द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए 2 अंक
2. एन.सी.सी. सर्टीफिकेट "सी"/जी-2 में उत्तीर्ण अथवा 8 अंक
- एन.सी.सी. सर्टीफिकेट "बी"/जी-1 में उत्तीर्ण अथवा 6 अंक
- एन.सी.सी. क्रेडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक
3. एन.एस.एस. में 240 घण्टे कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक
4. अम्बेडकर विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय में सेवारत एवं अवकाश प्राप्त केवल स्थाई अध्यापक एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/स्वयं जो उन पर आश्रित हों। 17 अंक
5. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों एवं कारगिल के ऑपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्रियों/विधवाओं या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (अविवाहित) 10 अंक
- नोट-**
1. किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त '1' से '3' तक सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन.सी.सी./एन.एस.एस. अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- 7.(अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हों और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण-पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।
- (स) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 20 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी। सैक्शन का आधार विषयों के अनुसार होगा अर्थात् एक विषय में 60 छात्रों का अनुपात रहेगा।
- (द) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्नपत्र को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।
- 8.(अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
- (ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

(स) एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय (एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थित कॉलेज) में छात्रों का स्थानान्तरण सम्बन्धित प्राचार्यों की सहमति से, सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारी वार्डों को सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण –

1. सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवक के ट्रांसफर होने पर

2. पुत्र/पुत्री की शादी अथवा

3. सेवानिवृत्ति पर/माता पिता/अभिभवक की मृत्यु) होने पर अनुमन्य हो सकता है एवं शेष सभी छात्रों को महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष की कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है, परन्तु इसके लिए विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। उपयुक्त में दोनों कालेजों के प्राचार्यों द्वारा एन.ओ.सी. जारी कर प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

(द) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(य) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर संपर्क करता रहे और सूचना पट पर ही दी गई सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखे, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ ले।

– आवेदन यदि किसी अल्पसंख्या, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

– अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने इण्टर की परीक्षा यू.पी. बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड/प्रांत इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य।

– नई शिक्षा निति-2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का समायोजित कर लिया जायेगा।

महाविद्यालय में अनुशासन

अनुशासनबद्ध होकर परिश्रम करना ही हमारी उन्नति का मूल-मन्त्र है और अनुशासन ही सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र एवं छात्रायें अनुशासित जीवन का आदर्श लेकर यहाँ से निकलें।

अनुशासन कोई ऊपर लादने अथवा दबाव डालकर मनवाने की चीज नहीं है। यदि हम इधर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो कुछ ही समय में यह हमारी आदत बन जाती है। अतः हम इधर भी थोड़ा ध्यान दें और इस प्रकार अन्य महाविद्यालयों एवं भावी छात्रों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें।

विद्यार्थियों को चाहिए कि निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दें।

1. (क) अपनी साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल इधर-उधर न रखकर साइकिल स्टैण्ड पर ही रखें।
(ख) साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल स्टैण्ड पर न रखने पर उस दिन के लिए रू. 10/- दण्ड देना पड़ेगा।
(ग) मोटरसाइकिल के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट आवश्यक है।
2. (क) महाविद्यालय की दीवारों, फर्नीचर को कदापि गन्दा न करें, न तोड़-फोड़ करें और न उस पर कुछ लिखें।
(ख) दीवारों या फर्श पर न थूकें।
(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों के पन्ने न फाड़ें, ऐसा करने पर पुस्तक की वर्तमान कीमत के साथ-साथ रू. 100/- दण्ड देय होगा तथा भविष्य में पुस्तकालय की सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जायेगा।
3. काउन्टर पर पंक्ति में खड़े होकर ही काम करायें।
4. (क) महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति शिष्टाचार के भाव अपनायें। दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों को कड़ी सजा दी जायेगी जिसका आंकलन प्राचार्य स्थिति की गंभीरता देखकर करेंगे। इस धारा के अन्तर्गत दण्डित छात्रों के चरित्र प्रमाण-पत्र पर इसका उल्लेख कर दिया जायेगा।

- (ख) दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता के अपराध की गुरुता के अनुरूप (1) अर्थदण्ड रू. 100/- तक (2) निष्कासन अथवा निलम्बन (2 से 6 सप्ताह) का दण्ड प्राचार्य/प्रॉक्टर द्वारा दिया जायेगा। निर्धारित एवं नियत तिथि तक प्रवेश न लेना, फार्म न भरना आदि अनुशासनहीनता समझी जायेगी जिसके लिए छात्र/छात्राओं को आर्थिक दण्ड देना होगा।
- (ग) महाविद्यालय परिसर तथा कक्षा में छात्र किसी प्रकार का हथियार न लायें।
- (घ) कक्षा में प्राध्यापक के पहुँचने से पूर्व पहुँचें अन्यथा प्राध्यापक के प्रति दुर्व्यवहार माना जायेगा।
- (ङ) छात्राओं के बैठने वाले कक्ष और प्रांगण में छात्रों का जाना वर्जित है।
- (च) महाविद्यालय के सामान्य प्रशासन को क्षति पहुंचाने, कक्षाओं में पढ़ाई रोकने अथवा भूख हड़ताल करने वाले छात्र/छात्राओं का नाम महाविद्यालय से काट दिया जायेगा और यह दण्ड उनके चरित्र प्रमाण-पत्र पर अंकित कर दिया जायेगा।
- (छ) छात्र अपने साथ में किसी बाहरी तत्व को न लायें। अनुशासन बनाये रखने के लिए सभी प्राध्यापक अधिकृत हैं और उपर्युक्त सभी धाराओं के अन्तर्गत किसी भी छात्र को निर्देश दे सकते हैं और दण्डित कर सकते हैं।

कालेज में प्रवेश सम्बन्धी नियम

छात्र/छात्राएं अपना प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व इन नियमों को अवश्य पढ़ लें।

1. प्रत्येक प्रवेशार्थी द्वारा दस पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो लाना आवश्यक है।
2. अर्ह छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र तथा छात्रवृत्ति फार्म प्रवेश के तुरन्त बाद भरेंगे तथा कम्प्यूटर में डाटा अपने समक्ष पूर्ण करायेंगे।
3. प्रवेश के समय विश्वविद्यालय नामंकन फर्म भरना आवश्यक होगा।
4. शुल्क जमा रसीद प्राप्त हो जाने के बाद छात्र का नाम नोमीनल रोल हेतु कम्प्यूटर में फीड कराना छात्र की भी जिम्मेदारी होगी।
5. महाविद्यालय का परिचय-पत्र प्रवेश के समय छात्र द्वारा पूर्ण रूप से भरकर जमा कराना होगा तथा चीफ प्रोक्टर के हस्ताक्षर होने के पश्चात् दो दिन के अन्दर प्राप्त करना होगा।
6. जाति एवं आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति तथा प्रत्येक की पाँच-पाँच छाया प्रतियां प्रवेश के समय लाना अनिवार्य होगा।
7. प्रवेश के समय समस्त मूलाभिलेखों को लाना अनिवार्य है।
8. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी के माता/पिता का आना बनिवार्य है अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
9. प्रवेश के तुरन्त बाद छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को अपना बैंक खाता बैंक ऑफ बडौदा, शिकोहाबाद में खुलवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रवेश आवेदन-पत्र (Admission Form) अधूरा रहने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. प्रवेश सूची योग्यता अंक सहित महाविद्यालय के सूचना पट पर लगा दी जायेगी। छात्र तदनुसार प्रवेश लें।
12. प्रवेश आवेदन पत्र का पंजीकरण शुल्क रू. 10/- महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा।
13. अनुत्तीर्ण छात्र किसी भी स्थिति में प्रविष्ट नहीं किए जायेंगे।
14. सभी छात्रों को पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो प्रवेश फार्म पर निर्धारित स्थान पर चिपकाना होगा।
15. मात्र शुल्क जमा कर देने से प्रवेश नहीं माना जायेगा। प्रवेश तभी मान्य होगा जब विद्यार्थी के प्रवेश फार्म पर प्रवेश अधिकारी 'प्रविष्ट' शब्द अंकित कर दें तथा विधिवत् सूची में नाम आ जाय और प्रवेशार्थी अपने सभी वांछित प्रमाण-पत्र जमा कर दें। ऐसा न होने पर यदि प्रवेश फार्म पर आदेश हो भी गये तो अप्रभावी हो जायेंगे।
16. सभी प्रवेश तभी स्थायी माने जायेंगे जब विद्यार्थी सन्तोषजनक चरित्र प्रमाण -पत्र (Character Certificate), स्थानान्तरण प्रमाण -पत्र (Transfer Certificate) प्रवजन प्रमाण -पत्र (Migration Certificate) वांछित अंकतालिका निर्धारित तिथि तक जमा कर देगा। तिथियों की विज्ञप्ति सूचना-पट पर लगा दी जायेगी। उक्त प्रमाण-पत्रों एवं अंकतालिका को जमा न करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

17. प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनायें महाविद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेंगी।
18. ड्रेस कोड – छात्रों – काली सादा बैल्ट, सफेद शर्ट एवं ब्राउन पेन्ट व काले जूते व सफेद मौजे
 शरद – ब्राउन स्वेटर/ ब्राउन ब्लेजर कोर्ट
 छात्राएँ – सफेद कुर्ता पजामा व सफेद दुपट्टा और काले जूते व सफेद मौजे
 शरद – ब्राउन स्वेटर/ ब्राउन ब्लेजर कोर्ट

विशिष्ट सूचनायें

पुस्तकालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में सम्बन्धित विषयों की पुस्तकों की पर्याप्त संख्या है। प्रतिवर्ष पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिससे अधिकाधिक छात्र अपने-अपने विषयों में नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

पुस्तकालय में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ वर्ष 1976-77 से बुक-बैंक योजना भी संचालित की जा रही है जिसमें निर्धन वर्ग के छात्रों को पुस्तकों के मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करके पूरे सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र को निर्धारित आवेदन-पत्र की पूर्ति कर पुस्तकालय में जमा करना आवश्यक होता है। प्राप्त पुस्तकों को विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में प्रवेश-पत्र प्राप्त करने से पूर्व वापिस जमा करना होगा।

प्रयोगशालायें

महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान एवं बीज प्रौद्योगिकी की सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित प्रयोगशालायें हैं जिनमें स्नातक और उच्च स्तर के यन्त्र एवं उपकरण आदि छात्रों के प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme)

महाविद्यालय में इस योजना का प्रारम्भ 1978 में हुआ। इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं द्वारा गत वर्षों में प्रौढ़ शिक्षा, प्रांगण विकास, श्रमदान, मद्यनिषेध, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान एवं बच्चों के रोग प्रतिरोधक टीके लगाने में सहयोग आदि का कार्य कुशलता पूर्वक किया गया है। प्रत्येक वर्ष विशेष सेवा-शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये हैं। नगर के रोटरी क्लब द्वारा लगाये गये शिविरों में गत वर्षों में महाविद्यालय के छात्रों ने सराहनीय कार्य किया है।

हमारे अनुरोध पर सरकार ने सत्र 1993-94 से एक अतिरिक्त यूनिट खोलने की मान्यता प्रदान कर दी है। अतः महाविद्यालय में अब दो इकाईयाँ कार्यरत हैं। प्रत्येक इकाई में 100 छात्र पंजीकृत किये जाते हैं।

राष्ट्रीय क्रेडिट कोर (N.C.C.)

सत्र 1994-95 से बी.एस.सी., प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु एन.सी.सी. का शुभारम्भ हुआ जिसमें 150 छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। डॉ. आर. बी. पाण्डेय (ए.एन.ओ.) के कुशल नेतृत्व में छात्र एन.सी.सी. का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

खेलकूद

विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद भी आवश्यक है। महाविद्यालय में लगभग सभी प्रकार के खेलकूद की व्यवस्था है। इन खेलों के आयोजन के लिए महाविद्यालय में अपना एक क्रीड़ास्थल है जहाँ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वालीबॉल, बैडमिण्टन, बास्केटबॉल आदि खेलों तथा वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। खेलकूद की सुनिश्चित व्यवस्था क्रीड़ाध्यक्ष की देखरेख में होती है। इसके अलवा महाविद्यालय में इस वर्ष से अपना अत्याधुनिक मशीन द्वारा संचालित जिम भी है।

रोवर्स रेजर्स

शासन की नवीन योजनानुसार महाविद्यालय रोवर्स रेजर्स टीम की दो टोलियाँ रोवर्स रंजर्स प्रभारियों के नेतृत्व में गठित की जा चुकी हैं जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर हैं।

शुल्क सम्बन्धी नियम

1. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय को तब तक अग्रसारित नहीं किया जायेगा जब तक महाविद्यालय परीक्षा शुल्क आदि के भुगतान न हो गये हों। छात्रों से शुल्क नियमानुसार लिया जायेगा। परीक्षा प्रवेश-पत्र प्राप्त होने से पूर्व छात्र को महाविद्यालय की सभी देय राशि आदि का भुगतान करना होगा।
2. अगर कोई छात्र सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ देता है तो उसे रु. 10/- रिमूवल शुल्क देनी होगी।
3. छात्रों को महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी. सी.) रु. 2/- शुल्क जमा करने पर तीन दिन में प्रदान किया जायेगा।
4. जो छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में (Ex-Student) अपना विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म अग्रसारित कराना चाहेंगे उन्हें रु. 163/-+10/- (सदस्यता शुल्क) गणित वर्ग में एवं रु. 223/-+10/- (सदस्यता शुल्क) जीव विज्ञान वर्ग में महाविद्यालय कार्यालय में जमा करनी होगी तभी उनका फार्म अग्रसारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जो भूतपूर्व छात्र कालेज में प्रयोगात्मक कार्य करना चाहेंगे उन्हें रु. 30/- प्रति विषय प्रतिमाह की दर से प्रयोगशाला शुल्क देना होगा।
5. विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क प्रत्येक परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय आदेशानुसार जमा करना होगा। ऐसा न होने पर उसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र का होगा। इनके साथ ही बी.एससी. प्रथम वर्ष के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यह आवश्यक है कि वह दिसम्बर माह से पूर्व ही अपना नामांकन विश्वविद्यालय में करवा लें।
6. विश्वविद्यालय एवं सरकार के नियमानुसार छात्रों को महाविद्यालय में 12 महीने की शुल्क जमा करनी होगी चाहे उसका प्रवेश सत्र के मध्य में कभी हुआ हो।
7. शुल्क का दिया हुआ धन किसी परिस्थिति में वापिस नहीं होगा।
8. विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा बीच सत्र में शुल्क में परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन का छात्रों द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा।
9. छात्रों को किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र आदि को प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह पहले प्रार्थना-पत्र महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
10. जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है उन्हें प्रवेश के पश्चात शीघ्र राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैंक में अपना बचत खाता खोलना होगा। ऐसा न करने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने पर इसके वितरण में होने वाली परेशानी के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

महत्वपूर्ण सूचनायें

- नियमावली के सभी अंश भली भाँति पढ़ लें जब स्वीकार हो तभी प्रवेश हेतु आवेदन करें।
- आन्तरिक प्रशासन के हित में किसी भी छात्र को प्रवेश देने या न देने का प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है। प्राचार्य किसी भी छात्र का नाम आन्तरिक प्रशासन के हित में बिना कारण बताये विद्यालय से काट सकते हैं।
- प्राचार्य द्वारा घोषित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
- नियमावली के किसी भी अंश को किसी भी समय बदला जा सकता है, जिसकी सूचना सूचना-पट पर प्रकाशित की जायेगी।
- एक बार जमा की गई फीस लौटाई नहीं जायेगी और न ही स्थानान्तरित की जायेगी, अतः सोच समझकर प्रवेश लें।
- विधिवत् प्रवेश प्राप्त छात्र ही महाविद्यालय में पढ़ेंगे।
- जो छात्र प्रवेश लेने के उपरान्त बीच में सत्र छोड़कर चले जाते हैं उनका उत्तरदायित्व है कि महाविद्यालय से अपना नाम कटा लें **No Dues** करा लें। ऐसा न करने पर शुल्क बकाया के रूप में चढ़ता है तो आगे चलकर उन्हें परेशानी में डाल देता है।